CNR No.–UPLP 1200 3638 2019
मु०सं०–2461/2024
निर्णय का दिनांक–03.06.2026

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी।

उपस्थित–रजत प्रकाश सोन (उ०प्र० न्यायिक सेवा) (JO CODE–UP 3725)

मुकदमा संख्या–2461/2024

कंप्यूटर पंजीकरण संख्या–107/2019

CNR No.–UPLP 1200 3638 2019

सरकार

बनाम

वीरेन्द्र कुमार उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र अहिवरन लाल निवासी मोहम्मदपुर ताजपुर, थाना–पसगवां, जिला–खीरी।

मु०अ०सं०–1346/2009
अं०धारा–4/25 आयुध अधिनियम
थाना–पसगवां, जिला–लखीमपुर खीरी।

<u>निर्णय</u>

पुलिस थाना–पसगवां, जिला–लखीमपुर खीरी द्वारा मु०अ०सं०–1346/2009 अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम के अधीन अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि "दिनांक 26.07.2009 को मैं उ०नि० आर०के० सक्सेना मय हमराही का० 635 रमेश वर्मा व का० 999 उत्तम कुमार व का० 831 रवीन्द्र सिंह व का० 33 ओंकार सिंह के देखभाल क्षेत्र व रोड गस्त व तलाश वांछित अपराधी क्षेत्र ओ.पी. हाजा में मामूर था कि हम लोग रोड गस्त करते हुए शाहजहांपुर की तरफ से आ रहे थे कि जैसे ही काली जी के मंदिर के पास पहुंचे कि जरिए मुखविर खास सूचना मिली कि किरियारा मोड़ पर एक व्यक्ति नाजायज चाकू लिये कहीं जाने के लिये सवारी के इंतजार में खड़ा है यदि जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके अजनाय राह से गवाहान फराहम करने की कोशिश की गयी, परन्तु भलाई–बुराई के डर से कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। अतः वमजबूरी में उ०नि० मय हमराही कर्म०गण मय मुखविर के किरियारी मोड़ की ओर चल दिए कि पास पहुंचने पर मोटर साइकिल की रोशनी में मोड़ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया कि मुखविर ने खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करके चला गया कि मैं उ०नि० मय हमरी कर्म०गण के किरियारी मोड़ पर पहुंचे और खड़े व्यक्ति पर टार्च की रोशनी डालते हुए टोका व रोका कि अचानक हम पुलिस वालों को देखकर किरियारी रोड पर भागा कि हम पुलिस वालों ने अपनी मोटर साइकिलें वहीं तिराहे पर छोड़कर पैदल करीब 35–40 कदम दौड़ा कर समय करीब 22:10 बजे रात किरियारी सड़क पर ही हिकमत अमली से घेरघार कर पकड़ लिया गया। पकड़े व्यक्ति का नाम व पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम वीरेन्द्र कुमार पुत्र अहिवरन लाल नि०ग्राम ताजपुर थाना पसगवां, खीरी बताया। जामा तलाशी ली गयी तो पहने पेंट की दाहिनी फेट में खुशा हुआ एक अदद चाकू नाजायज जिसका फल लोहे का लम्बाई करीब 9 अंगुल, बेंती अलमोनियम की लंबाई करीब 10 अंगुल फल को खोलने व बंद करने के लिए चाकू के मध्य में पीतल की बटन लगी है, बरामदु हुआ तथा पेंट की दाहिनी जेब से दस–दस रुपये के पांच नोट कुल 50 रु० बरामद हुआ। उक्त व्यक्ति से चाकू रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा। उक्त व्यक्ति के पास से नाजायज चाकू बरामद होना अं०धारा 4/25 A.Act की हद

तक पहुंचता है। अतः कारण गिरफ्तारी से भलीभांति अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद चाकू व रुपयों को कब्जे पुलिस में लेकर चाकू को एक कपड़े में रखकर सील कर सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। बरामद रुपयों की चिटबंदी की गयी। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के नियमों का पालन किया गया। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में का० 33 ओंकार सिंह से बोल–बोलकर लिखवाकर पढ़ककर सुनाकर सम्बन्धित के आलामात बनवाये जा रहे हैं। अभि० की गिरफ्तारी की सूचनार उसके परिजनों को द्वारा का० रवीन्द्र सिंह भेजी जा रही है।"

विवेचक द्वारा घटना की विवेचना ग्रहण कर गवाहन के बयानात अंकित किए गए एवं घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया तथा बाद विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार के विरुद्ध धारा–4/25 आयुध अधिनियम के अधीन आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

उक्त आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया एंव अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार न्यायालय में हाजिर आया एवं उसके द्वारा अपनी जमानत कराई गयी।

अभियुक्त को विधिनुसार अन्तर्गत धारा–207 दं०प्र०सं० के अधीन अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं।

न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2011 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया तथा अपने विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद भी किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। दिनांक 02.05.2026 को अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में अग्रसारित की गयी।

दिनांक 19.05.2026 को अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में कथन किया गया है कि मुझसे चाकू बरामद नहीं हुआ। मुकदमा गलत चलना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने से इनकार करते हुए कथन किया है कि मुझे कुछ नहीं कहना है।

तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

न्यायालय द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त एवं संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त प्रकरण वर्ष 2009 से लंबित है। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 29.01.2011 को आरोप विरचित किया गया, तत्पश्चात् पत्रावली निरन्तर साक्ष्य हेतु नियत रही, परन्तु अभियोजन की ओर से किसी भी तथ्य के साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। सभी साक्षी पुलिस कर्मचारीगण हैं। साक्षियों की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा आदेशिकाएं जारी की गयीं, परन्तु उसके पश्चात् ही अभियोजन द्वारा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन को साक्ष्य हेतु कई बार अवसर प्रदान किये गये उसके उपरान्त भी किसी भी साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्त लगभग 15 वर्षों से विचारण का सामना कर रहा है अभियुक्त को अत्यन्त मानसिक एवं आर्थिक हानि हो रही है। अतः प्रश्नगत प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Imtiyaz Ahmad v. State of Uttar Pradesh and Ors., (2012) 2 SCC 688** के मामले में यह प्रेषित किया है कि "It was observed that long delay has the effect of blatant violation of rule of law and adverse impact on access to justice which is a fundamental right. Denial of this right undermines public confidence in justice delivery.

"इसी प्रकार **Abdul Rehman Antulay Vs. R.S. Nayak [(1992)1 SCC, page 225** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि–"In cases where the trial is for an offence punishable with imprisonment for a period not exceeding seven years, whether the accused is in jail or not, the court shall close the prosecution evidence on completion of a period of two years from the date of recording the plea of the accused on the charges framed whether the prosecution has examined all the witnesses or not, within the said period and the court can proceed to the next step provided by law for the trial of the case."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त विधि व्यवस्थाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शीघ्र विचारण अभियुक्त का नैसर्गिक अधिकार है। प्रस्तुत वाद में लगभग 15 वर्षों तक पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में नियत रही, परन्तु अभियोजन द्वारा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही साक्षी प्रस्तुत न करने का कोई कारण ही बताया गया। अतः उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में लगभग 15 वर्षों तक पत्रावली साक्ष्य में नियत रहने के पश्चात् अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

अभियोजन द्वारा आरोपपत्र, नक्शा–नजरी, फर्द, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जी०डी० कायमी तथा माल–मुकदमाती को साबित नहीं किया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा तथा अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार को मु०अ०सं०–1346/2009, आरोप अंतर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम, थाना–पसगवां, जिला–लखीमपुर खीरी के दण्डनीय अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके पूर्व दाखिल जमानतनामें निरस्त कर जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 20,000/–रूपये का निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू न्यायालय में दाखिल करे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अभियुक्त के पास से बरामद माल बाद मियाद अपील, यदि वांछित न हो तो नियमानुसार निस्तारित हों।

<u>दिनांकः 03.06.2026</u>

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
(JO CODE–UP 3725)

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोषित किया गया।

<u>दिनांकः 03.06.2026</u>

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
(JO CODE–UP 3725)